



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30102020-222853  
CG-DL-E-30102020-222853

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3472]  
No. 3472]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 30, 2020/कार्तिक 8, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 30, 2020/KARTIKA 8, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
(वाणिज्य विभाग)  
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)  
अधिसूचना  
नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2020  
सं. 44 / 2015-2020

विषय : आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के एक्जिम कोड 07019000 के अंतर्गत मदों हेतु आयात नीतिगत शर्तों को शामिल करना।

का.आ. 3936(अ).—समय-समय पर यथा-संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 07 के अंतर्गत मदों की नीतिगत शर्तों को संशोधित करती है।

एक्जिम कोड	मद विवरण	आयात नीति	नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
07019000	आलू, ताजा या शीतित: अन्य	प्रतिबंधित	—	भूटान से आलू का आयात 31 जनवरी, 2021 तक बिना किसी लाइसेंस के मुक्त रूप से अनुमत है।

इस अधिसूचना का प्रभाव : एक्जिम कोड 07019000 के अंतर्गत भूटान से 31 जनवरी, 2021 तक बिना किसी लाइसेंस के आलू का आयात अनुमत है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/02/एएम-17/पीसी-2(क)/ई-3200]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th October, 2020

**No. 44 /2015-2020**

**Subject : Insertion of import policy conditions for items under Exim code 07019000 of Chapter 07 of ITC (HS), 2017, Schedule –I (Import Policy).**

**S.O. 3936(E).**—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy conditions of items under Chapter 07 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

Exim Code	Item Description	Import Policy	Policy Condition	Revised Policy Condition
07019000	Potatoes, fresh or chilled: Other	Restricted	-	Import of Potatoes from Bhutan is permitted freely, without any license, up to 31st January 2021

**Effect of the Notification :** Import of potatoes under Exim Code 07019000, is allowed for import from Bhutan without license up to 31st January 2021.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/02/AM-17/PC-2(A)/E-3200]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade  
& Ex-officio Addl. Secy.